प्रेस नोट
दिनांक 05.11.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी राजकुमार वर्मा उर्फ सोनू पुत्र चंद्रभान वर्मा निवासी ग्राम पिपरा-भिटौरा अंधरीजोत, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 08.10.2026 को पारिवारिक विवाद के दौरान उनकी भाभी द्वारा अपने मायके फोन करने पर उनके मायके पक्ष के लोग अपने अन्य साथियों के साथ तीन मोटरसाइकिलों से वादी के घर पहुंचे तथा एक राय होकर घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से वादी एवं उनके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में वादी सहित उनके परिवार के चार लोगों को चोटें आई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर मु0अ0सं0 222/2026 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 05.11.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामजद अभियुक्त राजेन्द्र वर्मा को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. राजेन्द्र वर्मा पुत्र रामसुधार वर्मा निवासी ग्राम सहायपुरवा छजवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग:

1- मु0अ0सं0 222/2026 धारा 191(2), 333, 109(1), 115(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. व0उ0नि0 रामभवन पासवान
2. उ0नि0 रामाज्ञा पासवान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.11.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने एवं-दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 243/2026 धारा 137(2), 61(2), 64(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शहीद उर्फ मुबारक पुत्र जोखू उर्फ अहमद अली निवासी ग्राम चपरतल्ला, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा को छजवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम छजवा,निवासिनी वादिनी द्वारा थाना मोतीगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री करीब एक सप्ताह पूर्व घर से सामान लेने गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि ग्राम चपरतल्ला निवासी शहीद उर्फ मुबारक उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस संबंध में थाना मोतीगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शहीद उर्फ मुबारक पुत्र जोखू उर्फ अहमद अली, निवासी ग्राम चपरतल्ला, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 243/2026 धारा 137(2), 61(2), 64(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह
2. उ0नि0 रामाज्ञा पासवान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 05.11.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सैनिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी आयोजित कर आगामी त्यौहारों की तैयारियों, अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई-

आज दिनांक 04.11.2026 को पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा सैनिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याओं, उनके कल्याण एवं विभागीय कार्यों से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त आयोजित अपराध गोष्ठी में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ जनपद में अपराध एवं कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। गोष्ठी के दौरान आगामी दीपावली एवं छठ पूजा के दृष्टिगत शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए संवेदनशील स्थलों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं छठ पूजा के घाटों पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित करने तथा निरंतर भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी गश्त, रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर सतर्क निगरानी रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यक्ष ऐप के माध्यम से की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए ऐप का अधिकाधिक उपयोग करने एवं संबंधित सूचनाओं को समय से अद्यतन करने की अपेक्षा की गई। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का प्रभावी समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में लम्बित विशेष अपराधों की समीक्षा के दौरान विवेचनाओं को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखने, साक्ष्यों का संकलन कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने एवं अभियोगों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अपहरण से संबंधित अभियोगों में पीड़िताओं की सकुशल बरामदगी हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को उपलब्ध साक्ष्यों एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर प्रभावी प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों में चिन्हित अभियोगों की पैरवी की समीक्षा करते हुए अभियोजन से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी करने एवं अपराधियों को न्यायालय से दण्डित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जनपद के चिन्हित स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, नहरों एवं सीमावर्ती गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने तथा पूर्व से स्थापित कैमरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। अंत में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने, जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, लम्बित विवेचनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पूरी सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 05.11.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध रूप से भण्डारित 208 किलोग्राम पटाखे बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मोहल्ला पोर्टरगंज पथवलिया में तीन अलग-अलग मकानों पर दबिश देकर कुल 208 किलोग्राम पटाखे (सुतली बम एवं विभिन्न प्रकार के पटाखे) बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद पटाखों में 24 बोरियों एवं 03 कार्टून में रखे सुतली बम सहित विभिन्न कम्पनियों के माचिस बम, छुड़छुड़ी, अनार, जलेबी, चरखी, रॉकेट एवं अन्य प्रकार के पटाखे शामिल हैं। अभियुक्तगण द्वारा पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के सम्बन्ध में कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.11.2026 को उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार मय पुलिस टीम क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला पोर्टरगंज पथवलिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा घनी आबादी के बीच अवैध रूप से पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का भण्डारण कर बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर तीन अलग-अलग मकानों में दबिश दी गई, जहां से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण से बरामद पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के सम्बन्ध में वैध लाइसेंस/अनुमति प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु उनके द्वारा कोई वैध लाइसेंस अथवा सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भारी मात्रा में पटाखों का असुरक्षित तरीके से भण्डारण किया गया था, जिससे किसी भी समय गंभीर अप्रिय घटना घटित होने की आशंका थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इमामुन निशा पत्नी इरशाद अहमद निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
2. साबिया खातून पत्नी अरशद निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
3. बक्शीश रजा पुत्र ननकऊ निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

बरामदगी-

01- कुल 208 किलोग्राम अवैध पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री।
02- 24 बोरियों एवं 03 कार्टून में रखे सुतली बम एवं विभिन्न प्रकार के पटाखे।
03- माचिस बम, छुड़छुड़ी, अनार, जलेबी, चरखी, रॉकेट एवं अन्य पटाखे।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 1012/2026 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं धारा 288 बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
2. का0 अमित यादव
3. रि0का0 उत्कर्ष पाण्डेय

4. रि0का0 शशिकान्त
5. रि0का0 अवधेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।